



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 4 मार्च, 1983

फाल्गुन 13, 1904 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग--1

संख्या 813/सत्रह-वि०--1-1(क)-5-83

लखनऊ, 4 मार्च, 1983

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 पर दिनांक 4 मार्च, 1983 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन)
अधिनियम, 1983

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1983)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का
अप्रति संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था)
(संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जाएगा।

संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
7 सन् 1972
की धारा 2 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष और तीन मास" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 813/XVII-V—1-1(Ka)-5-83
Dated Lucknow, March 4, 1983

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 343 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhinyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 1 of 1983) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 4, 1983:

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITIS (ALPAKALIK VYAWASTHA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1983
(U. P. ACT NO. 1 OF 1983)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhinyam, 1972

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fourth year of the Republic of India as follows:

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhinyam, 1983.

Amendment of
section 2 of U.P.
Act no. 7 of 1972.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhinyam, 1972, in sub-section (1), for the words "three years", the words "three years and three months" shall be substituted.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.